बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0सं0 :– 3/अ0प्र0–1–54/14 631 /पटना, दिनांक :– 24.3.23

श्री उमेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0 प्रखंड हसनगंज, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अपने पदस्थापन काल में प्रखंड हसनगंज के ग्राम महमदिया कोठी, टोला–नवादा, हसनगंज में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग कार्य में एम0बी0 बनवाने हेतु अभिकर्ता से रिश्वत की मांग की गई एवं अभिकर्ता से रिश्वत लेने के क्रम में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसप्रकार श्री सिंह द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है, जैसा की संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री उमेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0 प्रखंड हसनगंज, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत को निदेश दिया जाता है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

ह0/- 21/3/23
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–54/14 631(1) /पटना, दिनांक :– 24.3.23

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

ह0/- 21/3/23
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–54/14 631(2) /पटना, दिनांक :– 24.3.23

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री उमेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0 प्रखंड हसनगंज, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता– ग्राम–पीपारी, थाना–करगहर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

ह0/- 21/3/23
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–54/14 631 /पटना, दिनांक :– 24.3.23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–54/14 631 /पटना, दिनांक :– 24.3.23

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/3/23

अभियंता प्रमुख